न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 920/2021
दायर दिनांक :– 10.11.2021

अनवान

छोटु लाल पिता छोगा रेगर नि. घटियाली तहसील केकडी

प्रार्थी..............

बनाम

1. हिरालाल पिता रामनाथ मीणा नि. धुंवाला तहसील जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण........

......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री नारायण लाल शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी

:: आदेश :: दिनांक 12.04.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला भु. अभि. नि. कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में आ.न. 1037/2 रकबा 0.4613 आ. न. 1386/590 रकबा 0.2671 खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं व कब्जे कास्त सें उक्त कृषि भूमी पर अबाध्य रुप से लगातार कास्त करता चला आ रहा हैं। ग्राम धुंवाला पह धुंवाला भु. अभि. नि. कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में आ.न. 1037/2 रकबा 0.4613 आ.न. 1386/590 रकबा 0.2671 प्रार्थी की खातेदारी भूमी में जानें का रास्ता मुख्य सडक से हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला तहसील जहाजपुर की खातेदारी भूमी मे आ.न 590/2 रकबा 0.8256 में से होकर जाता है। प्रार्थी ने पैरा संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि जिन खातेदारो से क्रय की थी वे खातेदार व उनके पुर्वज भी मुख्य सडक से हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला तहसील जहाजपुर की खातेदारी भूमी मे आ.न 590/2 रकबा 0.8256 में से होकर पैरा संख्या एक मे वर्णित कृर्षि भुमि मे आते जाते थे। उक्त रास्ता करीब 50 वर्ष से अधिक पुराना है जिस पर होकर पूर्व खातेदार व पूर्व खातेदारो के पूर्वज व वर्तमान में क्रेता प्राथी अपनी पैरा संख्या एक मे वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर अबाध्य रुप सें लगातार आता जाता रहा हैं। पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला तहसील जहाजपुर की खातेदारी भूमी मे आ.न 590/2 रकबा 0.8256 में से होकर जाता है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

रास्ता राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज नही होने के कारण खातेदार हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला तहसील जहाजपुर प्रार्थी के एक मात्र आने जाने के रास्ते को रोक देता है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी कें परिवार को पैंरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी मे आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने मे काफी परेशानीयाँ होती है। प्रार्थी पैंरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी मे आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला तहसील जहाजपुर की खातेदारी भूमी मे आ.न 590/2 रकबा 0.8256 में से 15 फीट चौडा रास्ते की जमीन को अपने नाम राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे अभिलिखित कराना चाहता हैं। व जो भी भुमी रास्ते मे अभिलिखित होगी उसकी नियमानुसार व आदेशानुसार हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला को प्रार्थी राशी जमा कराने को तैयार है। राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज नही होने के कारण खातेदार हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला ने प्रार्थी के एक मात्र आने जाने के रास्ते को आये दिन रोक लेने की धमकी देने से प्रार्थना पत्र पेश करनें का कारण उत्पन होंकर जारी हैं। पैंरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी मे आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु हिरा लाल पिता रामनाथ मीणा निवासी धुंवाला तहसील जहाजपुर की खातेदारी भूमी मे आ. न 590/2 रकबा 0.8256 में से 15 फीट चौडा रास्ते की जमीन को राजस्व रेकार्ड व नक्शे लटठा शीट मे अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमावें । प्रार्थी रास्ते की जमीन को अपने नाम राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे अभिलिखित कराना चाहता हैं। व जो भुमी रास्ते मे अभिलिखित होगी उसकी नियमानुसार व आदेशानुसार प्रार्थी राशी जमा कराने को तैयार है । अतः श्रीमान से आग्रह है कि राजस्व रेकार्ड व नक्शा लटठा शीट मे प्राथी के नाम राजस्व रेकार्ड में व नक्शा लट्टा शीट में रास्ते के रूप में अभिलिखित किये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 1037/2, 1386/590 कुल किता 2 रकबा 0.7284 हैक्टैयर में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 28.09.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 590/2 में से रास्ता देने पर 0.0280 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ. न. 1037/2, 1386/590 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी की जोत तक पहुॅचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 590/2 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ. न. 1037/2, 1386/590 में आने जाने हेतु ख. न. 590/2 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ. न. 1037/2, 1386/590 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थी की आ. न. 1037/2, 1386/590 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 590/2 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ. न. 1037/2, 1386/590 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 1037/2, 1386/590 में आने जाने के लिये आ. न. 590/2 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 590/2 में से रास्ता देने पर कुल 0.0280 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 590/2 में अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0280 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 77994 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 (आ. न. 590/2 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक/रीडर/23/मु.न. 920/2021 दिनांक 12.04.2023

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 920/21 अनवान छोटु लाल पिता छोगा रेगर नि. घटियाली बनाम हिरालाल पिता रामनाथ मीणा नि. धुंवाला में रास्ता तरमीम करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम धुंवाला प. ह. धुंवाला तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 1037/2, 1386/590 में आने जाने के लिये आ. न. 590/2 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 590/2 में से रास्ता देने पर कुल 0.0280 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 590/2 में अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0280 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 77994 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 (आ. न. 590/2 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner